International Journal of Research
e-ISSN: 2348-6848 & p-ISSN 2348-795X Vol-5, Special Issue-9
International Seminar on Changing Trends in Historiography: A Global Perspective
Held on 2nd February 2018 organized by **The Post Graduate Department of History. Dev Samaj College for Women, Ferozepur City, Punjab, India**

भारतीय पंजाब का बंटवारा १९४४ई.

Pooja Prashar
HOD, Dept. of History, Dev Samaj College for Women, Ferozepur City, Punjab
Sonaljeet kaur
B.A.IIIrd year, Dev Samaj collage for women, Ferozepur City, Punjab

Abstract

इतिहास में पंजाब अपनी भूगौलिक स्थिति के कारण केन्द्र रहा है । जहाँ आदिकाल में यह भारतीय सभ्यता और संस्कति का जन्म स्थान रहा है,वहीं मध्यकाल में यह विदेशी आक्रमणकारियों के भारत में प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा बन गया था । आधुनिक काल में पंजाब अपने बंटवारे के कारण इतिहास में सबसे चर्चित रहा है । एक बंटवारा आजादी के समय भारतीय पंजाब से टूटकर पाकिस्तान के बनने का है, जिसपर बहुत गहराई से इतिहासकारों ने लेख लिखे हैं । मेरा शोध पत्र पंजाब के दूसरे बंटवारे के विष्य में है जो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर घटा था । मैं इस शोध पत्र से केवल राजनीतिक पहलूओं को छूने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास इस विष्य के नए पहलूओं पर रोशनी डालेगा ।

Keywords:- क्षेत्रीय फार्मुला,धर्मनिरपेक्ष,संस्कति,महासभा,क्षेत्रवाद।

Introduction

मुस्लिम लीग की स्थापना,मुस्लिमों की एक अलग प्रतीनिधित्व की मांग,अंग्रेजों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीती,उनकी मुस्लिमों और सिखों की जाति भावनाओं को भडकाने वाली नीति ने मुस्लिमों में एक अलग राष्ट और सिक्खों में आजाद पंजाब की भावना को प्रबल आधार प्रदान करना शुरू कर दिया । १९४७ईःमें पंजाब के बंटवारे से मुस्लिम तो संतुष्ट हो गए, परंतु सिंक्खो यह अनुभव करने लगे कि उनको कुछ नहीं मिला। वास्तव में सिक्खों ने भारत विभाजन के विरूद्व जी तोड मेहनत की क्योंकि वह घणित पीडाओं से परिचित थे । उन्होंने महसूस किया कि अपनी मात भूमि को छोडने से उन्हें कष्ट सहन करने पडेंगे । सिक्खों ने अनुभव किया कि पाकिस्तान की मांग से उनकी बहुमूल्य वस्तूएं उनसे लुट जाएगी । उनके पवित्र स्थान,उनका राजनैतिक हित,उनकी पैतक सम्पति सब लुट जाएगी । इसके बावजूद भी सिक्खों ने कांग्रेस द्वारा दिए गए भरोसों पर विश्वास कर लिया । सिक्खों ने धार्मिक द्रष्टि से अलपसंखियक होने के नाते अपने भविष्य का निर्णय बहु संखियक हिन्दू समुदाय के पाले में फेक दिया । इसके लिए नेताओं ने अलग अलग प्रकार से आश्वासन दिये ।

परन्तु देश विभाजन के बाद परिस्थितीयां पूरी तरह बदल गई । पंजाब में सिक्खों की बढ रही जनसंख्या ने पंजाबी भाषी राज्य की मांगो को बडा दिया । दुर्भाग्यवश,यह मांग साम्प्रदायिकता से मिल गई। अकालीओं के नेतत्व में सिक्ख साम्प्रदायवादियों और जनसंघ के नेतत्व में हिन्दु साम्प्रदायवादियों ने भाषा के मुददे का उपयोग अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को फैलाने के लिए किया। नेहरू और कांग्रेस के सामने यह बिलकुल साफ था कि वे धर्म और साम्प्रदाय के आधार पर राज्य निर्माण की बात किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी एक अलग पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण की मांग को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि इसके साथ ना तो पंजाब की भाषा सनस्या हल होगी और ना ही साम्प्रदायिक समस्या। प्एप्सू राज्यों को भी पंजाब में शामिल कर दिया गया ।१९५५ईभ में क्षेत्रीय फार्मूला के अन्र्तगत पंजाब को हिन्दी और पंजाबी दो क्षेत्रों में बाटं दिया ।

मास्टर तारा सिंह और **संत फतह सिंह** ने पंजाबी सूबे के लिए संघर्ष किया ओर इसके बाद १९६६ ईभ में **इंदिरा गांधी** पंजाब का विभाजन पंजाब और हरियाणा,हिन्दी और पंजाबी इलाकों में करने के लिए सहमत हो गई। पहाडी, बोलने वाले इलाको को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया ।

पंजाबी सूबे के निर्माण में सहायक कारण

1.)अंग्रजों की'फूट डालो और राज्य करो' की नीतिः

पंजाबी सूबे की समस्या को समझने के लिए हमें पूर्व इतिहास में झांकना पडेगा । महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में पंजाबियों ने धर्मनिरपेक्ष निर्माता होने का गौरव प्राप्त कर लिया था । अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित हुए कुछ दहाके ही हुए थे । इसमे कोई संदेह नहीं कि पंजाबी बहुत अधिक उद्यमी, दूर द्रष्टिगामी और धर्मनिरपेक्ष लोग थे । इसमें कोई सदेह नहीं है कि साम्प्रदायिकता का बीज अंग्रेजों ने ही बोया था । क्योकि वे उपनिवेश प्रथा को जारी रखना चाहते थे । अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज्य करो' की कसूटनीति के तहत धार्मिक मतभेदों का उपयोग करते हुए हिन्दू मुस्लिम और सिक्खों में फूट डाली गई । **मोन्टेग। केम्सफोर्ड** की १९१८ की रिर्पोट के अनुसार लेखकों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक किए÷

"प्रशासन और सेवाओं के संदर्भ में सिक्खों की एक अलग स्थिती होनी चाहिए ।"भारत सरकार एक्ट ्१९१९च साइमन कमिशन्१९३०च साम्प्रदायिक फैसला ्१९३२च भारत सरकार एक्ट ्१९३५च इन सभी में सिक्खों का एक अलग अस्तित्व दिखाया गया –

2.) सिक्खों को दिए गए आश्वासन"

आजादी से पहले कांग्रेस ने १९२९ मे लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया था । कि बिना सिक्खों की सहमति के किसे भी संवैधानिक व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा । यह आश्वासन प्रस्ताव के रूप में पास किए गए, जिसे **लाहौर प्रस्ताव** का नाम दिया गया । इसमें यह लिखा गया कि भविष्य में कोई भी सविधान कांग्रेस तब तक स्वीकार्य नहीं करेगी जब तक सिक्खों की पूरी संतुष्टी नही हो जाती । जुलाई १९४६ में कलकत्ता अधिवेशन में भी **पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने इन शब्दों में भाव व्यक करते हुए कहा,'पंजाब के बहादुर सिक्ख विशेष मान आदर के अधिकारी है । इसमें कोई गलती नजर नही आती कि अगर यह सिक्ख उत्तर भारत में अपने लिए कोई क्षेत्र निर्धारित करते है ताकि स्वतंत्रता का लाभ उठा सके।'इन सभी कारणों ने आजादी के बाद सिक्खों की आशाओं को बडा दिया ।

3.) विभाजन का प्रभाव आंकडों में परिवर्तनः- नई सरकार के लिये शरणार्थियो को पुर्नस्थापित करना एक महत्वपूर्ण काम हो गया था । केंन्द्रीय सरकार ने शहरी शरणार्थियो को बसाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, परन्तु ग्रामीणों को बसाने का उत्तरदायित्व पंजाब सरकार पर छोड दिया । इस तरह पुनःबसाने की प्रकिया ने फिर एक बार जनसंख्या के आंकडो में परिवर्तन लाकर खडा कर दिया । १९५१ईभमें राज्य की कुल जनसंख्या का ३५ख सिक्ख थे जब कि विभाजन से पहले इनकी संख्या १३ख थी,हिन्दूओं की ६२ख से अधिक थी और बहुमत थे । इस तरह हिन्दू और सिक्खों की जनसंख्या में व्रद्धि होने से परिवर्तन होने लगा । रावी और घग्गर के बीच के इलाको में सिक्खं केंद्रित होते चले गए । शाही रियासतों,गुरदासपुर,अमतसर,जलंधर,होशियारपुर,लुधियाना और फिरोजपुर जिलों में भी सिक्ख कुल जनसंख्या का आधा प्रतीनिधित्व करते थे। इतिहास में पहली बार उन्हें बहुत बडी संख्या में एकत्रित होने के लिए विशेष क्षेत्र मिला। इस लिए पंजाबी भाषी राज्य की मांग के लिए यह कारण काम आया।

4.) भाषा नियमः पंजाबी सूबे को बनाने के लिए भाषा समस्या का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आजादी से पहले पंजाबी,हिंदी और उर्दू, प्रशासन और प्रकाशन की भाषाएं थी। जबकि पंजाबी केवल मौखिक भाषा थी। वह भी फारसी लिपि में लिखी जाती थी।१९वीच उनीसवीं सदी के अंतिम दहाके में दो सामाजिक सुधार आन्दोलनों ने पंजाब में अपनी जडें मजबूत कीं। आर्य समाज ने अपना अधिकतर जोर शहरी हिंन्दू जनता ने दिया और देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रयोग का प्रचार किया। पंजाबी में बढावे के लिए चीफ खालसा दीवान ने सिक्ंख धर्म और अमत प्रचार का बीडा उठाया। उन्होंने पंजाबी में गुरमुखी लिपि में बहुत सारी पुस्तकें और इश्तहार छपवाये। इससे पंजाबी को धार्मिक द्रष्टि मे महत्व दिया। जाने लगा। जबकि यह सत्य था कि प्रान्त में रहने वाले सभी लोगो की व्यवहारिक बोलचाल की भाषा पंजाबी थी। स्वतंत्रता के बाद, पंजाब से अधिकतर मुस्लिम जनता पाकिस्तान चली गई और उससे अधिक हिंदू और सिक्खों की जनसंख्या भारत की ओर स्थानांतरित हो कर आई। अब भाषा विवाद उर्दू,हिंदी से बदलकर

हिंदी और पंजाबी हो गया। इस तरह जब भी राज्य भाषा के संबंधी फैलसे की बात होती तो हिंदू और सिक्खों में साम्प्रदायिक तनाव बढने लगता।

5) सवैधानिक सुरक्षा के लिये सिक्खों की मांग - सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग **सन १९४५ में मास्टर तारा सिंह** ने रखी थी। इस अकाली नेता ने सरकार की पुर्नगठन की नीति की आलोचना की और कहाः। 'हम ऐसा प्रान्त चाहते हैं,जहाँ हम अपनी संस्कति और संपदा की सुरक्षा कर सकें।'उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अलग,स्वंतत्र नहीं चाहते।

October १९४८ में अकाली दल ने विधानपालिका में सिक्खों के अलग प्रतीनिधित्व की मांग के लिये प्रस्ताव पास कर दिया। अपने पक्ष को दढ करने के लिए उन्होंने १३मांगो का एक पत्र भी लिखा। संविधान सभा को यह मांगें किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं थी। सरदार पटेल ने कहा कि सिक्ख सदस्य इस बात से सहमति हो गए हैं कि वह ओर ज्यादा मांगे नहीं रखेंगे अगर पिछडी जाति के सिखों को अलग दर्जा दे दिया जाता है। परंतू सिक्खों इस मांग से एकमत नहीं थे। **ज्ञानी करतार सिंह** ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा।'यह मांग देश विद्रोही और सिक्खों के लिए हानिकारक है।'दूसरी ओर हिंदुओं के उग्रवादी और विदोही रवयीये ख्वैयेच ने पंजाब में राजनैतिक स्थिति को और भी समस्यपूर्ण बना दिया। उनका विचार था कि सभी धार्मिक अल्प संख्यकों के प्रति भारत सरकार को कडा रूख अपनाना चाहिए न कि खुश करने वाली नीति का पालन करना चाहिए,इसके साथ देश के विघटन को बढावा मिलेगा।

6')PEPSU का अस्तित्व"-15 July,१९४८ को सरदार पटेल ने एक नये राज्य PEPSU(Patiala and East Punjab Stastes Union) की नींव रख दी और इसको सिक्खं होमलैंड का नाम दिया गया। इस नये राज्य में पूर्व सिक्खं राज्य पटियाला, नाभा, जींद,फरीदकोट, कपूरथला और कलसिया के साथ मलेरकोटला और नालागढ के भी राज्यों को शामिल किया गया। इस नये राज्य का क्षेत्र 10,000 वर्ग मील से कुछ अधिक था। इस क्षेत्र की आधी जनसंख्या सिखों की थी। इस तरह पंजाब में हिन्दुओं की अपेक्षा सिखों की संख्या में वद्रि हो गई। महाराजा पटियाला को इसका गवर्नर और कपूरथला के महाराजा को डिप्टी गवर्नर जीवन भर के लिए नियुक्त कर दिया गया।

7') सच्चर फार्मूलाः। जून १९४८ में पंजाबी और हिन्दी को स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। उर्दू को हटा दिया गया। उर्दू को बदलने का मुख्य कारण यह था कि प्रान्त में विभाजन के बाद मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम रह गई थी। दूसरा आंशिक रूप में साम्प्रदायिक समस्या को कम करने के लिए उर्दू के स्थान पर हिंदी और पंजाबी को माध्यम बनाने का इरादा किया गया।

१९४९ में भाषा फार्मूले ने राजनैतिक रूप धारण कर लिया। इसको अकाली पार्टी द्वारा पंजाबी भाषी राज्य और अन्य सुविधाओं के अधीन मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया। जून१९४९ में पंजाब यूनिवर्सिटी की

सीनेट, जो आर्य समाजियों का गढ था, ने स्कूलों में भाषा का माध्यम पंजाबी में गुरमुखी लिपि और हिन्दी में देवनागरी लिपि को बनाने से एकदम इंकार कर दिया। इसके साथ पंजाब में सिक्खों के मन में निराशा और नाराजगी की लहर दौड गई। इसके फलस्वरूप,पंजाब सरकार ने इस विषंय पर गंभीरता से विचार किया। October १९४९ **में भीमसेन सच्चर** द्वारा एक फार्मूला पेश किया गया। जिसके अनुसार मैटिक तक हिंदी और पंजाबी को लाजमी ज़रूरीच विषय बना दिया गया परंतु माध्यम का चुनाव माता पिता की खुशी पर छोड दिया गया।

सिक्खों द्वारा इस सूत्र की सराहना की गई, जबकि अकालियो ने माता पिता को माध्यम सम्बन्धी दी गई छूट की आलोचना की। यह प्रस्ताव हिन्दु मतवालों और आर्य समाज जैसे संगठनो के लिए आलोचना का विषय बन गया। इसमें जनसंघ और हिंदू महासभा भी शामिल थे। इन संगठनों ने हिंदुओ ं को अपनी मातभाषा हिन्दी घोषित करने के लिए बडी तेज मुहिम चला दी। इसका मुख्य कारण इस मांग को नकारना था कि पंजाब जहाँ सिक्ख बहुमत में थे, वहाँ भाषा के आंधार पर राज्य न बनाया जाए।

8,)राज्य पुनर्गठन कमीशनः हिन्दू आंदोलन के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए अकाली प्रैस और नेताओं ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। दोनो हिन्दुओं और अकालियों ने अपने अपने समुदाय के लोगो को चेतावनी दी कि जनगणना स्टाफ दुारा भरे गए दस्तावेजों पर नजर रखें क्यो कि इनमें भाषा संबंधी झूठे विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। शांत वातावरण सम्प्रदायिकता की जहर से भर गया। कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे भी भडक उठे। इस प्रकार हिन्दुओं ने हिन्दी और सिक्खों ने पंजाबी विकल्प भर दिया। इसके फलस्वरूप पंजाबी हिंदुओ द्वारा पंजाबी को मातभाषा नहीं माना गया। राज्य में भाषा का प्रश्न और स्कूलों में माध्यम का चुनाव कोई कठिन विषय नहीं थे न ही उलझन भरे थे। परन्तु इन दोनों को राज्य के पुनर्गठन के साथ जोड दिया गया। 22,December,१९५३ **को राज्य पुनर्गठन कमीशन** बनाया गया। जिसे भाषा के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश का काम सौंपा गया। तीन सदस्यों **सैयद फैजल अली,केभएमभ पानिकर** तथा **एचभएनण कुंगरू** की टीम गठित की गई। इस कमीशन ने हिमाचल,प्एप्सू और प्नजाब तीनों को मिलाकर नए नयेच राज्य के गठन की सिफारिश की।

सिक्ख इस कमीशन की सिफारिशों से पूरी तरह नाराज थे। क्योकि इसने दूसरे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने की सिफारिश की परन्तु पंजाब को छोड दिया जबकि देश के संविधान में १४ स्वीकत की गई भाषाओं में पंजाबी भी शामिल थी। कमीशन का यह विचार था कि प्रस्तावित पंजाबी भाषी राज्य बन जाने से लिपि समस्यां का हल फिर भी असंमभव है। गुरमुखी लिपि का दूसरे लोगों पर थोपा जाना और कई समस्याएँ खडी कर सकता है। यहा तक कि पंजाबी भाषी राज्य दो भाषी राज्य रहेगा। क्योकि इस में पंजाब विश्वविद्यालय के लगभग 62.2 फीसदी छात्रों ने भाषा का माध्यम हिंन्दी भरा हुआ था।

पंजाबी भाषी राज्य को तब और सहारा और प्रेरणा मिली जब हिन्दी भाषी राज्य तथा हरियाणा की मांग के लिए आंदोलन चल पडे। आर्थिक दष्टि से पछडे हुए हरियाणा वासियों ने एक अलग राज्य की मांग छेड दी। उन्होनें यह आरोप लगाया कि बहुत प्रगतिंशील पंजाबी हमारे साथ भेदभाव की नीति अपनाते हैं। इस इलाके के लोग असन्तुष्ट थे और पंजाबियों के विरूद्ध काफी समय से विरोधाभाष कर रहे थे क्योकि इन पंजाबियों का व्यापार,वाणिज्य और प्रशासनिक क्षेत्र में काफी दबदबा बन चुका था। हिंदु और पंजाबी लोगों की तरह पहाडी क्षेत्रवासियो ने हिमाचल प्रदेश की मांग उठा दी। उन्होंने यह मांग रखी कि पहाडी लोगों का प्रशासनिक दष्टि से अस्तित्व होना चाहिए। ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सकें। प्रगतिशील पंजाबी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में वह भी अपने क्षेत्र को विकसित कर सकें। भारत की एकता और सुरक्षा को देखते हुए आर्य सामाज, जनसंघ और हिंदु महासभा ने महान पंजाब बनाने की मांग की।

9') क्षेत्रीय फार्मूलाःसिक्खों को यह अहसास होने लगा कि सरकारी भेदभाव नीति,सिक्खों को अल्पमत में लाने में जुटी हैं और इसको उपराजनैतिक स्तर पर रखना चाहती हैं। इस लिए सिक्खों ने मास्टर तारा सिंह के नेतत्व में एक भाषी पंजाबी राज्य के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अन्य भाषाई वर्गो के साथ सांक्षा मोर्चा बना दिया। मास्टर तारा सिंह के नेतत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल २३नवंबर१९५५ को प्रधानमत्री से मिला। सिक्ख जनता की भावनाओं पर ध्यान देते हुए सरकार ने १९५६ में एक नयां क्षेत्रीय फार्मूला तैयार किया।इस सूत्र के अनुसार पंजाब को दो क्षेत्रों पंजाबी और हिंदी में बांट दिया गया। पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा का माध्यम,बनाया गया और चौथी कक्षा तक दोनों भाषाओं को अनीवार्य विष्य रखा गया।

यह क्षेत्रीय योजना हरियाणा के लोगों और हिन्दु अस्तित्ववादियों को पसंद न आई। महापंजाबी पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को दूसरा दर्जा देने के पक्ष में नही थे। इसके लिए आर्य समाज को आगे कर दिया गया। वह हिंदी तथा पंजाबी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के लिए संघर्ष पर उतर आई। 'हिंदी खतरे मे' ऐसा नारा लगातार उन्होनें जालंधर डिवीजन और हरियाणा के हिंदुओं को एकत्रित करके हिन्दी बचाने के पक्ष में संघर्ष छेड दिया।

पंजाबी सूबे के निर्माण में आन्दोलन

क्षेत्रीय फार्मूला लागू न होने के कारण,सिक्खों ने पंजाबी सूबे की मांग दुबारा उठानी शुरू कर दी। मास्टर तारा सिंह ने आमरण व्रत शुरू कर दिया। बाद में संत फतह सिंह ने आमरण व्रत जारी रखा।

जून १९५८ में मास्टर तारा सिंह ने यह सकेत दिया कि क्षेत्रीय फार्मूला लागू न किया गया तो वह पंजाबी सूबे की मांग पुनः उठाएंगे। प्रताप सिंह कैरों, जो पंजाब के मुख्यमंत्री (CM) थे और कांग्रसी थे ने मास्टर तारा सिंह को स्ग्प्च के प्रधान पद से हटा दिया और ज्ञानी करतार सिंह ने चुनाव जीत कर अपने खोये

पद को दुबारा प्राप्त कर लिया। अकाली दल ने १३९ में से १३२ सीटें प्राप्त की और सभी अकाली दल के सदस्यों ने २४ जनवरी, १९६० को अकाल तख्त पर कसम खाई कि वे एकजुट होकर पूरी लगन और साधनों से पंजाबी प्रांत की सफलता के लिए कारज करेंगे।

१९६० में इस आन्दोलन ने कुछ गति पकडी। मास्टर तारा सिंह ने मई में **पंजाबी प्रान्तीय सभा** बुलाई और जून में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उसे दूसरे अकालियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अकाली समाचार प्रत्र 'प्रभात' और 'अकाली' बंद कर दिए गए। लगभग १८००० अकालियों ने अमतसर में अपने आपको कैद करवाया। **जवाहरलाल नेहरू** ने आजादी दिवस के भाषण पर इस मांग की और ध्यान देते हुए कहा,"प्रत्येक पंजाबी को दोनों भाषाओं हिन्दी और पंजाबी को सीखने का प्रयास करना चाहिए, परन्तु पंजाब की बाटं नही होनी चाहिए।" अकाली दल के उपाप्रधान संत फतह सिंह ने १ नवंबर को घोषणा कर दी कि अब देश की सेवा करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अवसर आ गया है। इसके बाद १८ दिसंबर १९६० को उन्होंने आम्रण व्रत घोषित कर दिया ताकि प्रधानमंत्री उनकी भाषाई आधार पर पंजाबी प्रान्त की मांग को पूरा कर दें।

नेहरू पंजाबी भाषा के आधार पर की जा रही मांग को मानने के लिए तैयार हो गये। दिसंबर २३ को उन्होंने संत फतह सिंह को आमरण व्रत खोलने की सिफारिश की और आगे की बात चीत के लिए निमंत्रण दिया। नेहरू का विचार था कि पूरे पंजाब को ही एक भाषीय प्रान्त बना दिया जाए। सतः फतह सिंह ने निमंत्रण ठुकरा दिया। इस बीच सरदार प्रताप सिंह कैरों ने अपने सख्त राजनैतिक दबाव से मास्टर तारा सिंह को जेल से छुडवा लिया और नेहरू से मुलाकात निश्चित कर दी। प्रधानमंत्री नेहरू और मास्टर तारा सिंह की मुलाकात ७ जनवरी १९६१ को भावनगर में हुई। पंजाब के विरूध किसी प्रकार का कोई विश्वासघात नहीं होगा और पंजाबियों को भाषा की द्रष्टि से भी अधिकार दिये जाएंगे। ऐसे आश्वासन देने के बाद संत फतह सिंह को भूख हडताल खत्म करने के लिए कहा गया वास्तव में कुछ भी स्चनात्मक कदम न उठाया गया। इस बातचीत के पश्चात अकालियों ने यह प्रचार शुरू कर दिया कि पंजाबी सूबे के सिद्वान्त कीबात सरकार ने मान ली है। सभी अकालियों को छोड दिया और **एस भआर भदास** की अध्यक्षता में समस्याओं को देखा परखा गया।

1.)अकाली दल में फूटः – सन १९६१नवंबर के अंत में मास्टर तारा सिंह और संत फतह सिंह को 'पांच प्यारों'को बुलाया। उन्हें यह पूछा गया कि गुरू ग्रंथ साहिब की हजूरीच उपस्थिति में ली गई प्रतिज्ञा से वह पीछे क्यों हटे। विशेष रूप में मास्टर तारा सिंह पर संत फतह सिंह को व्रत तोडने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। मास्टर तारा सिंह को पांच प्यारों ने हुकमनामा जारी किया कि अपने अपराध की क्षमा के लिए अखण्ड पाठ करवाये, दैनिक वाणी के अतिरिक्त और भी वाणी पढें,१२५ रूपए का कडाह प्रसाद चढाये,गुरू के लंगर में बर्तन साफ करें और गुरूद्वारे में आने वाली संगत के जूते साफ करें। उसने

बिनां कोई विरोध किये,यह सभी काम किये और पांच प्यारों द्वारा क्षमा कर दिया गया। परन्तु उसकी कमियों को पंथ द्वारा नही भुलाया गया। अब सिक्ख उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अक्तूबर के आरम्भ में मास्टर तारा सिंह को स्ग्प्च के प्रधान पद से हटा दिया और अविश्वास का प्रस्ताव पास करके संत फतह को नया प्रधान बना दिया गया।

2.)प्रताप सिंह कैरों का त्याग पत्र और कत्ल:विधायकों ने प्रताप सिंह कैरो के नेतत्व की आलोचना की और कांग्रेस प्रधान को इसके खिलाफ आरोप पत्र दे दिया । विरोधी नेताओं का दल भारत के राष्टपति को मिला और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार,भाई भतीजा वाद और पक्षपात के ३० आरोप लगाये गये। ऐसे आरोप पहले भी १९५८ में लगाये गये। **पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने पूरी तरह कैरों का साथ दिया १ ौचतोबेर १९६३ में नेहरू ने कैरों के विरूध मामलों कीजाच के लिए कमेटी बिठाई। कमीशन की रिर्पोट अनुसार कैरों दोषी पाए गए। १४ जून १९६४ को त्याग पत्र दे दिया। १९६४ मई में नेहरू दुनिया छोड के विदा हो गये। कैरों का १९६५ में कत्ल कर दिया गया।

3.) संत फतह सिंह के तले आन्दोलन: संत फतह सिंह को अब ज्यादा स्म्मान दिया जाने लगा। सिक्ख संगत उनकी बातें मानने लगी। उन्हें नये प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने के लिए कहा गया तांकि उनके सामने पंजाबी सूबे की मांग रखी जा सके। परन्तु उनकी मुलाकात कोई ठोस और सक्रिय ढंग न ढूढ सकी। १५ अगस्त १९६५ को संत ने पंजाबी भांषी राज्य की मांग के लिए फिर आमरण व्रत की घोषणा कर दी और कहा कि अगर वे भूख हडताल के १५ दिनों तक जिंदा रहे तो १६ वें दिन आत्मदाह कर लेंगें। परन्तु संत फतह सिंह को अस्थाई रूप से पंजाबी सूबे की मांग का आन्दोलन स्थगित करना पडा क्यों कि १९६५ में भारतापाक युद्ध शुरू हो गया था। पंजाब के सभी वर्गो को तीन हफ्तों तक चले युद्ध में बडी ही देशभक्ति की भावना के साहसिक कार्य किए गये। २६ स्तिंबर १९६५ को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई।

युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए आरंभिक कदम उठाने शुरू किये। **लोक सभा अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह की** अध्यक्षता में **वाईभ बी भचवन, इंदिरा गांधी,मोहन त्यागी** तीन सदस्यीय समिति बनाई गई, जिन्हे पंजाब के पुनर्गठन की समस्या को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था। **११जनवरी १९६६ को** देश के प्रधानमंत्री **लाल बहादुर शास्त्री** का देहान्त हो गया और **२०जनवरी १९६६ को इंदिरा गांधी** प्रधानमंत्री बन गई। वे पंजाबी सूबे की मांग को मानने के लिए तैयार थीं। **१० मार्च १९६६ को कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी** में यह प्रस्ताव रखा गया कि तत्कालीन पंजाबी राज्य में पंजाबी भाषी राज्य बनाया जाए। सभी राजनैतिक दलों द्वारा इस फैसले का समर्थन किया गया। केवल **जनसंघ ऐसी पार्टी** थी जिसने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा ,"देश की एकता और अखण्डता के लिए यह धक्का है।" पार्टी ने जन आन्दोलन द्वारा प्रदर्शन किया। पंजाब के बहुत सारे

शहरों विशेष तौर पर पानीपत में लूटमार, झगडे और खूनी संघर्ष भी हुए। परन्तु इस विद्रोह में हरियाणा और हिमाचल के हिन्दुओं ने साथ न दिया।

पंजाब पुनर्गठन एक्ट,१९६६

१८ स्पेतेमबेर १९६६ ईभको बोुनदारय चेाममसिसौंन ेर स्हाह चेाममसिसौंन ्जे भसीभ शाह, एसभ दत और एमभ एमभ फिलिपच्च को मिलाकर इनकी सिफारिशों को मुख्य रूप से आधार मानकर पंजाब पुनर्गठन बिल भारतीय सांसद में पास किया और १८ स्पेतेमबेर १९६६ को राष्टपति द्वारा मंजूरी देने से यह बिल एक्ट का रूप धारण कर गया। **इसके अनुसार 1 November,१९६६ को पंजाबी सूबे का संगठन किया गया।** इसके अनुसारः

1.) पंजाबी सूबे में ्नया पंजाबचअमतसर,गुरदासपुर,होशियारपुर,कपूरथला,जालन्धर,लुधियाना पटियाला, फिरोजपुर,बटिंडा, संगरूर जिले के कुछ हिस्से, अम्बाला जिले की रोपड और खरड तहिसील के क्षेत्र शामिल किए गए। नये पंजाब का क्षेत्रफल लगभग 20,२५४ वर्ग मील था और जनसंख्या १ करोड,१५ लाख ८४ हजार थी। इसमें सिक्खों की संख्या ५६ख हिंदु ४४ख थे।

2.) हिमाचल में शिमला,कुल्लू,कांगडा,और लाहौल सपित्ती के जिले, गगरेट,अंम्ब और ऊना के बलाक,अम्बाला की नालागढ तहिसील,डलहौजी,बलून और बकलोह के क्षेत्र को मिलाया गया था।

३भच हिसार,मोहिंदरगढ,गुडगाँव,रोहतक,करनाल के जिले और संगरूर की नरवाना और जींद तहिसील ,खरड तहिसील,चंडीगढ नारायणगढ,अम्बाला,जगाधरी को मिलाकर हरियाणा प्रान्त बना दिया गया। ्बाद में च्हानदगिारह को ुर्नोन ेररदिोरय ऐलान कर दिया गया।च

४भच चंडीगढ को नये पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी बनाया गया।

५ंच पंजाब और हरियाणा का एक गर्वनर,एक हाई कोर्ट,सांझा बिजली बोर्ड,वित कार्पोरेशन होगी।

६ंच भाषडा और ब्रेस डैम प्रोजेक्टों का प्रबन्ध केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया।

७ंच गुरमुखी लिपी में पंजाबी बोली नये पंजाब की राजसी भाषा होगी जबकि देवनागरी लिपि में हिन्दी,हरियाणा की और हिमाचल प्रदेश की राजसी भाषा होगी।

चेानचलुसौंनः भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का काम स्माप्त कर राष्टीय नेतत्व ने एक बहुत बडी शिकायत को दूर कर दिया था। जो संभव विघटनकारी प्रवितियों को बडा सकता था। अंतः राज्यों का पुनर्गठन एक तरह से " **राष्टीय एकीकरण के लिए एक जमीन साफ करना माना जाता है।"**

International Journal of Research
e-ISSN: 2348-6848 & p-ISSN 2348-795X Vol-5, Special Issue-9
International Seminar on Changing Trends in Historiography: A Global Perspective
Held on 2nd February 2018 organized by **The Post Graduate Department of History. Dev Samaj College for Women, Ferozepur City, Punjab, India**

राज्य पुनर्गठन के आन्दोलनों के दौरान भाषा को लडाई का आधार बनाया गया। परन्तु उसके बाद भाषा ने राज्यों की राजनीति को परिभाषित नही किया। इसके इलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि भाषाई राज्यों के पुर्नगठन ने देश के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं किया। न ही उसने केंद्र को कमजोर किया। केन्द्रीय सरकार उतना ही सत्ता का प्रयोग करती रही जितना वह पहले करती थी। राज्य भी केन्द्र के साथ नियोजन और आर्थिक विकास के लिए सहयोग करती रही। ठोस प्रादेशिक ईकाईओं के गठन से राष्टीय सरकार मजबूत ही हुई है,

जैसे कि **W.H.mWirs जोनस** ने लिखा हैः। “यह सत्य है कि नव र्निमित क्षेत्रों का अपना आत्म चेतन संगठन है, परन्तु केंद्र के साथ कामकाज करने को उनमें इच्छा है। इस लिए भारत की संपूरनता के एक अंग के रूप में काम करने के लिए वह सुसज्जित भी हैं।”

पर राज्यों का पुर्नगठन भाषा संबंधी सभी विवादों और समस्याओं का समाधान कहीं कर पाया। विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद और भाषाई अल्पसंख्यक की समस्या तो खडी हुई ही कई आर्थिक प्रशन,जैसे नदी जल का बंटवारा,बिज्ली और अतिरिक्त खाद्यान्न की समस्या अभी भी अनसुल्झी पडी हैं। कभी कभी भाषाई अहंकार की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। लेकिन इस पुर्नगठन ने देश की ऐकता और समेकन को खतरा पहुँचाने वाले एक महत्वपूर्ण पहलू का खात्मा कर दिया। राज्यों के बीच विवादों को सुल्झाने और आर्थिक एवं प्रशासनिक मुददो पर सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए १९५६ के राज्य पुर्नगठन विधेयक ने एक औपचारिक विधि की स्थापना भी की हालांकि इसे अकसर नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। इस विधेयक ने पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जिनका अध्यक्ष गहमंत्री होता है। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के दो और मंत्री उसके सदस्य होते हैं। यह परिषद पूर्णरूपेण सलाहकारी संस्थाके रूप में कार्य करती है। राज्य आमतौर पर केन्द्र सरकार को अपना मध्यस्थ मानता है और केन्द्र सरकार भी अब तक पक्षपाततहीन तरीके से मध्यस्थता करती रही है।

REFERENCES

१चभ पंजाब का इतिहास तथा संस्कतिाडा भके भके गुप्ता, अनिता बैरी मोहिन्द पबलीकेशन हाऊस,२०१४

२च भपंजाब का इतिहास ़१७९११९६६ईभच। शिव गजरानी

३भच आजादी के बाद का भारत ़१९४७२०००ईभच। बिपिन चंद्र,मदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी,हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निद्रेशालय,दिल्ली विश्वविद्यालय,२००२

४च प्ुनजाब ज्ञ्सितोरय चेनफेरेनचे ़8ीसत ैसेसर्सीनच मरचह १४१६ण२००९ण प्ुबलचिातीेन ब्ुरेु प्ुनजाबि ुनिविरसतियण पतालिा

५च भप्ुनजाब ज्ञ ि ानदणपेसतानिदेपेनदेनचे पेलतदिचिाल हसितोरय ेफ प्ुनजाब बय पनदति मेहान ललण त्रानस लातेद बय असहोक स्हारमाण२०१५ लेकगेत पारकासहानण ूपकार क्रसिहना स्हारमा प्रादेुद ानद ब्ोुनद नि ानदा